

कार्यालय उप वन संरक्षक, चूरु



कार्यालय दूरभाष नम्बर 01562-250938
कार्यालय पता : वानिकी पथ, नेचर पार्क, चूरु

ई-मेल पता :-
dcf.churu.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ ()05/सर्वे/उवसं/2021-22/ 1011

दिनांक :- 17/02/2022

Sr. Manager, Jaipur Divisional Office,
Indian Oil Corporation Limited, Frist Floor,
LIC investment Building, Phase II,
Near Ambedkar Circle, Jaipur, Rajasthan

विषय:- Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village - Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj. (FP/RJ/ROAD/49638/2020).

संदर्भ:- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(103) वन/2021 जयपुर, दिनांक 07.01.2022 एवं कार्यालय प्र.मु.व.सं(वन बल प्रमुख) राज. जयपुर का पत्रांक 266-67 दिनांक 19.01.2022 के क्रम में।

PROPOSAL NO. FP/RJ/ROAD/49638/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(103) वन/2021 जयपुर, दिनांक 07.01.2022 Diversion of 0.0712 ha. Forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited for Construction of Approach for Proposed Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet on Jaipur -Bikaner Road (NH-11) Between KM Stone Chainage No- 450-451 (Chainage: 450.394-450.439) LHS in Khasra No. 486 At Village- Rajaldesar, Tehsil-Ratangarh, District-Churu (Rajasthan) (FP/RJ/ROAD/49638/2020) जिला चूरु में स्थापित किये जाने वाले पेट्रोल पम्प तक आवागमन हेतु सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए 0.0712 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है अतः शर्तों अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर पालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे :-

बिन्दु संख्या 08 - प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट उंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।

बिन्दु संख्या 9 - प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. मूल सर्टिफिकेट उपलब्ध करावे।

बिन्दु संख्या 10 - प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

बिन्दु संख्या 12 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु नई बी. एस.आर. 252/- रुपये मॉडल अनुसार आवश्यक धनराशि रुपये 1,61,602/- (एक लाख इक्कसठ हजार छः सौ दौ रुपये मात्र) कैम्पा नई दिल्ली में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 13 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन.पी.वी.) राशि = 0.0712 है0 x 6,70,140 रुपये = 47,714/- (अखरे रुपये सैंतालीस हजार सात सौ चौदह मात्र) रुपये कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे। (Revised NPV Certificate As per Order dated 06-01-2022 of MoEF, Government of India, attached).

बिन्दु संख्या 16 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 60-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावे प्रकरण में जारी स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवावे एवं स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 7, 11, 14 से 15 बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। सी.ए. एवं एन.पी.वी. दरो में बढ़ोतरी होने पर अन्तर राशि प्रयोक्ता अभिकरण को पृथक से जमा करवानी होगी। प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से कैम्पा मद में जमा करवाकर मूल प्राप्ति रसीद भिजवाये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सविता देहिया I.F.S.

उप वन संरक्षक,

चूरु

दिनांक:-

क्रमांक:- सम/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए राज. जयपुर।
2. श्रीमान् सभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।

उप वन संरक्षक,

चूरु

Revised

**Office of The Deputy Conservator of Forest, Churu
(Rajasthan)**

Full title of the Project : "Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaipur - Bikaner Road (NH-11) between KM Stone No. 450-451 (Chainage: 450.394 - 450.439) LHS in Khasra No. 486, At Village -Rajaldesar, Tehsil - Ratangarh, District - Churu, Raj.."

Proposal No : FP/RJ/ROAD/49638/2020

Date of Proposal : 18-09-2020

CERTIFICATE REGARDING NET PRESENT VALUE

As per the Order dated 06-01-2022, MoEF, Government of India Rates for NPV ECO Class-IV (Open Forest) is Rs. 6,70,140/- Per Hectare.

Hence, total NPV amount for Proposed Indian Oil Corporation Ltd.Retail Outlet approach/road (**Proposal No FP/RJ/ROAD/49638/2020**) is :

0.0712xRs. 6,70,140/- = Rs. 47,714/- (Forty Seven Thousand Seven Hundred Fourteen Rupees Only).

Area proposed to be diverted (in hac)	Eco Class		Amount in Rs.
	Type	Prevailing rate per hac (in lacs)	
0.0712	Class IV	6.70	47,714

Place :Churu
Date : 16-02-2022


Savita Dahiya, IFS
Deputy Conservator of Forests,
Churu